प्रेस विज्ञप्ति

रिट याचिका सं0 6047/2009 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा दिनांक 26.11.2010 को पारित आदेश के समादर में शासनादेश सं0 35/65–03–11–78/99 विकलांग कल्याण अनुभाग–3 दिनांक 13 जनवरी, 2011 एवं परिषदादेश सं0 आर–62/अनु0प्रकोष्ठ–39/2008 के क्रम में विकलांगजन के बैकलाग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु विज्ञापन सं0 495/जी0सी0–भर्ती/सगूह–ग/घ/2012 दिनांक 8.5.2012 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिसकी अन्तिम तिथि 31.5.2012 थी और इस तिथि तक कुल 676 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। आवेदन पत्रों की संवीक्षा के उपरान्त अपूर्ण आवेदन पत्रों एवं अन्य कारणों से अस्वीकृत आवेदन पत्रों की जानकारी आवेदक को आवश्यक रूप से दी जायेगी। पात्र पाये जाने वाले आवेदकों हेतु दिनांक 17.6.2012 को राजकीय इन्टर कालेज देवरिया में आयोजित की जायेगी। परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र में चार खण्ड होंगें, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित, सामान्य अग्रेंजी व सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जायेगें। प्रत्येक खण्ड हेतु 25 प्रश्न होने तथा प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 100 अंकों हेतु परीक्षा होगी। परीक्षा में न्युनतम अर्हता 33 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। कनिष्ठ लिपिक पद हेतु टंकण की भी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक होगी ।

समूह घ के पात्र अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी(प्र0)
कृते जिलाधिकारी
देवरिया।

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया।

संख्याः 567 /सा0लि0–2012 दिनांक 04 जून, 2012

प्रतिलिपि – सहायक निदेशक, सूचना को इस निर्देश के साथ कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों में दो दिनों तक निःशुल्क प्रकाशन करायें।

कृते जिलाधिकारी,
देवरिया।